

**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण विकास विभाग**

पत्रांक 6238683  
ग्रा.वि.07(आं0)- 01/2026

पटना, दिनांक 15/09/2026

प्रेषक,

मन्जु प्रसाद,  
अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त,  
बिहार ।  
अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
ग्रामीण विकास विभाग,  
बिहार, पटना ।

**विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वी0बी0- जी राम जी) योजना, बिहार, 2026 अंतर्गत प्रशासनिक मद में कुल 6000.00 लाख (साठ करोड़) रुपये का Mother Sanction आवंटन के संबंध में ।**

प्रसंग:- स्वीकृत्यादेश सं0- 6051940 दिनांक- 10.08.2026

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वी0बी0- जी राम जी) योजना, बिहार, 2026 अंतर्गत प्रशासनिक मद में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0- 6051940 दिनांक- 10.08.2026 द्वारा कुल 20537.82 लाख (दो अरब पाँच करोड़ सैंतीस लाख बेरासी हजार) रुपये का SNA SPARSH के तहत Mother Sanction के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है । इस स्वीकृत्यादेश के आलोक में विभागीय आवंटनादेश संख्या- 6065399 दिनांक- 11.08.2026 द्वारा 2000.00 लाख (बीस करोड़) रुपये एवं आवंटनादेश संख्या- 6161660 दिनांक 31.08.2026 द्वारा 1682.84049 लाख (सोलह करोड़ बेरासी लाख चौरासी हजार उनचास) रुपये आवंटित किया गया है ।

2. बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी के पत्रांक 1848 दिनांक 11.09.2026 द्वारा 6000.00 लाख (साठ करोड़) रुपये का आवंटन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है । तदनुसार स्वीकृत राशि में से वित्तीय वर्ष 2026-27 में विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वी0बी0- जी राम जी) योजना, बिहार, 2026 अंतर्गत प्रशासनिक मद में कुल 6000.00 लाख (साठ करोड़) रुपये आवंटित की जाती है ।

3. वित्तीय वर्ष 2026-27 में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक G-31011/20/2026-RE-V (396999) RE-V SL. No. 4 दिनांक 06.07.2026 द्वारा विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) योजना के कार्यान्वयन हेतु 12322.69 लाख (एक अरब तेईस करोड़ बाईस लाख उनहत्तर हजार) रुपये का SNA SPARSH के तहत प्रशासनिक मद में Mother Sanction उपलब्ध कराया गया है ।

4. वित्तीय वर्ष 2026-27 में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से विकसित भारत- जी राम जी योजना बिहार, 2026 अंतर्गत प्राप्त Mother Sanction के एवं बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी के पत्रांक 1848

दिनांक 11.09.2026 के आलोक में विपत्र कोडवार, उप शीर्षवार केन्द्रांश तथा राज्यांश मद में राशि निम्नवत् आवंटित किया जाता है:-

| (राशि लाख में) |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |         |                           |         |                                          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|---------------------------|---------|------------------------------------------|
| क्र० सं०       | बजट शीर्ष एवं विपत्र कोड                                                                                                                                                                                                                                                          | केन्द्रांश मद की राशि (60%) |         | राज्यांश मद की राशि (40%) |         | कुल विमुक्ति एवं व्यय हेतु स्वीकृति राशि |
| 1              | मुख्य शीर्ष-2505-ग्राम रोजगार, उप मुख्य शीर्ष 02- ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, लघु शीर्ष 101-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, उप शीर्ष 0209- विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वी०बी०- जी राम जी), मांग संख्या-42, विपत्र कोड-42-2505021010209 | विषय शीर्ष                  | राशि    | विषय शीर्ष                | राशि    |                                          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31-06                       | 300.00  | 31-06                     | 200.00  | 500.00                                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31-04                       | 3300.00 | 31-04                     | 2200.00 | 5500.00                                  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | कुल                         | 3600.00 |                           | 2400.00 | 6000.00                                  |

5. स्वीकृत राशि का राज्य एवं जिला स्तर के Implementing Agency को केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि संलग्न विवरणी अनुसार आवंटन किया जाता है ।

6. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक F.N. 1(27)PFMS/2020 दिनांक 13.07.2023 एवं वित्त विभाग, बिहार द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेश एवं विभागीय अधिसूचना संख्या 5736799 दिनांक 09.06.2026 के आलोक में राशि का व्यय / हस्तांतरण सुनिश्चित किया जायेगा ।

7. आवंटित राशि का व्यय/हस्तांतरण संबंधित Implementing Agency के माध्यम से उप विकास आयुक्त / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बी०आर०डी०एस० द्वारा किया जाएगा । इस हेतु विभागीय पत्रांक 5901801 दिनांक 10.07.2026 द्वारा निदेश संसूचित है ।

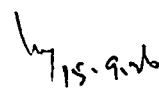
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक G-31011/20/2026-RE-V (396999) RE-V SL. No. 4 दिनांक 06.07.2026 के कंडिका 04 में निहित प्रावधान के आलोक में राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा ।

8. संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा योजना का अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जाएगा । SNA SPARSH Module से राशि निकासी के आलोक में विहित प्रावधान के तहत व्यय सुनिश्चित किया जाएगा ।

9. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द्र पटेल पथ, पटना तथा वित्त विभाग, (बजट शाखा), बिहार, पटना को दी जा रही है ।

**अनु० – यथोक्त ।**

विश्वासभाजन

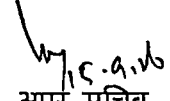
  
(मन्जु प्रसाद)  
अपर सचिव



ज्ञापांक 6238683 पटना, दिनांक 15/09/2026

ग्रा.वि.07(आं0)- 01/2026

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार (ले0 एवं ह0), बीरचन्द्र पटेल पथ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
अपर सचिव

ज्ञापांक 6238683 पटना, दिनांक 15/09/2026

ग्रा.वि.07(आं0)- 01/2026

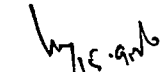
प्रतिलिपि:- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
अपर सचिव

ज्ञापांक 6238683 पटना, दिनांक 15/09/2026

ग्रा.वि.07(आं0)- 01/2026

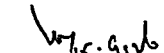
प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, बिहार, पटना / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बी0आर0डी0एस0, बिहार पटना / प्रशाखा पदाधिकारी-10 (बजट शाखा) / आई0टी0 मैनेजर (विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
अपर सचिव

ज्ञापांक 6238683 पटना, दिनांक 15/09/2026

ग्रा.वि.07(आं0)- 01/2026

प्रतिलिपि:- सी० एफ० एम० एस० टीम, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
अपर सचिव



(160)

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग  
बिहार रुरल डेवलपमेंट सोसाईटी

पत्रांक:- 1848

(BH-544001/6/2026-SEC-6-BRDS)

पटना, दिनांक 11/09/2026

प्रेषक,

अंजनि कुमार, भा०प्र०से०

आयुक्त VB-G RAM G-सह-

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ।

सेवा में,

श्री प्रेम प्रकाश,

अवर सचिव,

ग्रामीण विकास विभाग, पटना ।

**विषय:-** VB-G RAM G योजना के अंतर्गत प्रशासनिक मद में कुल स्वीकृत राशि में से विषय शीर्ष-वार राशि 60/- करोड़ (साठ करोड़ मात्र) रुपये का Virtual Allotment के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पत्रांक 6051940 दिनांक 10-08-2026 के द्वारा प्रशासनिक मद में कुल राशि 20537.82 लाख (दो अरब पाच करोड़ सैंतीस लाख बेरासी हजार) रुपये का Mother Sanction एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

उक्त स्वीकृति के आलोक में पूर्व में 20/- करोड़ तथा ₹ 16.8284049/- करोड़ रुपये का Virtual Allotment किया जा चुका है । उक्त आवंटन के उपरांत वितरण हेतु शेष उपलब्ध राशि 168.5497951/- करोड़ (एक अरब अड़सठ करोड़ चौवन लाख सैंतान्वे हजार नौ सौ इक्क्यावन) रुपये है ।

उपरोक्त स्वीकृत शेष राशि में से राज्य स्तर से प्रशासनिक मद में व्यय हेतु राशि 60/-करोड़ रुपये (साठ करोड़ मात्र) का निम्न तालिका में वर्णित विषय शीर्ष वार Virtual Allotment की स्वीकृति दी जाती है ।

| क्रं.सं०                | प्रशासनिक मद के विषय शीर्ष | केन्द्रांश   | राज्यांश     | कुल आवंटन    |
|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                       | 31-04 (वेतन)               | 33,00,00,000 | 22,00,00,000 | 55,00,00,000 |
| 2                       | 31-06 (गैर-वेतन)           | 3,00,00,000  | 2,00,00,000  | 5,00,00,000  |
| Total Virtual Allotment |                            | 36,00,00,000 | 24,00,00,000 | 60,00,00,000 |

उपरोक्त के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करे ।

विश्वासभाजन

11.9.26

(अंजनि कुमार)

आयुक्त VB-G RAM G-सह-

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

0-7  
14.09.2026  
प्रति श्री  
11/09/2026